

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 147

प्रकरण क्रमांक- SM-PRO-2023-02012

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/12/2023	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा उप-अभियंता सुश्री आरती कुंजाम उपस्थित।</p> <p>अनावेदक द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया कि प्राधिकरण में प्रोजेक्ट का पंजीयन कराया गया है। आवेदकों को उनके संपत्ति का आधिपत्य देने हेतु अनौपचारिक रूप विज्ञापन जारी किया गया था, विक्रय हेतु नहीं था। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेख किया है।</p> <p>अनावेदक पक्ष रेरा अधिनियम के प्रावधानों का गंभीरतापूर्वक पालन करें एवं भविष्य में पुनरावृत्ति न करें, चेतावनी देते हुये प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया गया।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया, अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>